Bill No. 15 of 2014

THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2014

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) (Rajasthan Amendment) Act, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 1, Central Act No. 37 of 1970.- For the existing sub-section (4) of section 1 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Central Act No. 37 of 1970), in its application to the State of Rajasthan, the following shall be substituted, namely:-

"(4) It applies-

(a) to every establishment in which fifty or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding twelve months as contract labour;

(b) to every contractor who employs or who employed on any day of the preceding twelve months fifty or more workmen:

Provided that the State Government may, after giving not less than two months' notice of its intention so to do, by notification in the Official Gazette, apply the provisions of this Act to any establishment or contractor employing such number of workmen less than fifty as may be specified in the notification.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-clauses (a) and (b) of sub-section (4) of section 1 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act,1970 provides that the Act shall apply to every establishment in which twenty or more workmen are employed or were employed on any day of preceding twelve months as contract labour. Similarly, the Act also applies to every contractor who employs or who employed on any day of the preceding twelve months, twenty or more workmen.

Because of above threshold limit, principal employers while hiring personnel or procuring commodities from tiny and small entrepreneurs and petty contractors, find it difficult to execute contracts, as the small units face hardship in ensuring formalities under the Act. It has been observed that the lower limit either encourages non-compliance or restrict the engagement of required labour as per demand.

In order to provide more opportunity of employment and to facilitate employers of tiny and small units and petty contractors, it is proposed to enhance the above threshold limit from twenty to fifty workmen.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970
(Central Act No. 37 of 1970)

XX XX XX XX XX XX

1. Short title, extent, commencement and application.-

(1) to (3) XX XX XX XX XX XX

(4) It applies-

(a) to every establishment in which twenty or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding twelve months as contract labour;

(b) to every contractor who employs or who employed on any day of the preceding twelve months twenty or more workmen:

Provided that the appropriate Government may, after giving not less than two months' notice of its intention so to do, by notification in the Official Gazette, apply the provisions of this Act to any establishment or contractor employing such number of workmen less than twenty as may be specified in the notification.

(5) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

<u>2014 का विधेयक सं. 15</u>

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 को इसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त संशोधन विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1970 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 37 की धारा 1 का संशोधन.- ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37), की धारा 1 की विद्यमान उप-धारा (4) के राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात~:-

"(4) यह-

(क) ऐसे प्रत्येक स्थापन को लागू होता है जिसमें पचास या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे;

(ख) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को लागू होता है जो पचास या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन पचास या इससे अधिक कर्मकार नियोजित किये थे:

परन्तु राज्य सरकार, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम दो मास की सूचना देने के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्ध, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी भी स्थापन या ठेकेदार को लागू कर सकेगी जो पचास से कम उतने कर्मचारियों को नियोजित करता है जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 1 की उप-धारा (4) के उप-खण्ड (क) और (ख) उपबंध करते हैं कि यह अधिनियम ऐसे प्रत्येक स्थापन को लागू होगा जिसमें बीस या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे। इसी प्रकार, यह अधिनियम ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को भी लागू होता है जो बीस या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन बीस या इससे अधिक कर्मकार नियोजित किये थे।

उपर्युक्त सीमा-रेखा के कारण, छोटे और लघु उद्यमियों और छोटे ठेकेदारों से कार्मिकों को भाड़े पर रखने या वस्तुओं को प्राप्त करने में प्रधान नियोजक संविदाओं के निष्पादन में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि लघु इकाइयों को अधिनियम के अधीन औपचारिकताओं को सुनिश्चित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि निम्नतर सीमा या तो अननुपालन को प्रोत्साहित करती है या मांग के अनुसार अपेक्षित श्रमिक को लगाये जाने को निर्बंधित करती है।

रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने और छोटी और लघु इकाइयों के नियोजकों और छोटे ठेकेदारों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपर्युक्त सीमा-रेखा को बीस कर्मकारों से पचास तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना.- (1) से (3) XX XX XX XX XX XX

(4) यह-

(क) ऐसे प्रत्येक स्थापन को लागू होता है जिसमें बीस या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित है या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे;

(ख) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को लागू होता है जो बीस या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन बीस या इससे अधिक कर्मकार नियोजित किए थे:

परन्तु समुचित सरकार, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम दो मास की सूचना देने के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्ध, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी भी स्थापन या ठेकेदार को लागू कर सकेगी जो बीस से कम उतने कर्मचारियों को नियोजित करता है जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

2014 का विधेयक सं.15

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 को इसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त संशोधन विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

तौफीक हुसैन हाशमी,

उप सचिव।

(वसुन्धरा राजे, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 15 of 2014

THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2014

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 in its application to the State of Rajasthan.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

TOFEEQUE HUSAIN HASHMI,
Deputy Secretary.

(Vasundhara Raje, **Minister-Incharge**)